

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 37 / 2025

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

जीयाराम पुत्र पुराराम जातियान जाट निवासी मोतीनगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. अणदाराम पुत्र पुरखाराम 2. उमाराम पुत्र पुरखाराम 3. रूघाराम पुत्र पुरखाराम 4. वीरमाराम पुत्र पुरखाराम 5. रूपों पत्नि पुरखाराम 6. जेरामाराम पुत्र मोडाराम 7. मुलाराम पुत्र मोडाराम जातियान जाट निवासी मोतीनगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 8. तहसीलदार सिणधरी
--	--

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री भंवरलाल सारण एड अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 8 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 30.04.2026

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खसरा संख्या 79 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 80 रकबा 19.2866 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 83 रकबा 8.0738 हैक्टेयर कुल रकबा 27.4009 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 16.10.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।


तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा मोतीनगर पटवार क्षेत्र सिणघरी तहसील सिणघरी जिला बालोतरा के खसरा संख्या 79 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 80 रकबा 19.2866 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 83 रकबा 8.0738 हैक्टेयर कुल रकबा 27.4009 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


क. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	रकबा बीघों में	किस्म	लगान	बरंग
1	जीयाराम पुत्र पुराराम जाति जाट सा. देह खातेदार	मोतीनगर	80	4.5120	27-17	बा.दोयम	50.13	हरा
			80	1.1002	6-16	बा.दोयम	12.22	
			83	8.0738	49-18	बा.दोयम	89.70	
		योग		13.6860	84-11			
2	अणदाराम 1/15 उमाराम 1/15 रूघाराम 1/15 वीरमाराम 1/15 पि. पुरखाराम रूपों पत्नि पुरखाराम 1/15 जैरामाराम 1/3 मुलाराम 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार।	मोतीनगर	79	0.0405	0-05	गै.मु.ढाणी	-	लाल
			80	13.6456	84-07	बा.दोयम	151.60	
	योग		13.6861	84-12	-			
3	संयुक्त खाता जमाबंदी खाता सं. 119 अनुसार खातेदार बदसुर।	मोतीनगर	80	0.0288	0-04	बा.दोयम	0.32	पीला

तहसीलदार सिणघरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणघरी

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणघरी